न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 07 / 2018

प्रार्थीगण	बनाम अप्रार्थीगण
1. गुरविन्द्र सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति कम्बोज निवासी 40 एच तहसील श्रीकरणपुर। 2. दलजीत सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति कम्बोज निवासी 40 एच तहसील श्रीकरणपुर।	1. अवतार सिंह पुत्र रेशम सिंह जाति जटसिख निवासी मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 2. बलराज सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 3. देवेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:—04.04.2018

उपस्थितः 1.श्री इन्द्रजीत सिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री युधिष्ठर सिंह सैनी, दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता अप्रार्थीगण

——निर्णय—— दिनांक :16.08.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 13 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 2075 के मुश्तर्का खाता संख्या 139/126 में 1.518 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने आपसी सहमति से घरू बंटवारा कर रखा है। घरू बंटवारा के मुताबिक प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 में कब्जा काश्त है। इसी खाता में अप्रार्थी संख्या 1 अवतार सिंह के नाम 4.390 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 2 बलराज सिंह के नाम 1.771 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 3 देवेन्द्र सिंह के नाम 3.111 हैक्टेयर नहरी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इनका कब्जा काश्त मुरब्बा नम्बर 18 पर है। उक्त भूमि श्रीकरणपुर से श्रीगंगानगर रोड के पूर्वी दिशा में छात्रावास के साथ चिपती भूमि है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 21 के दक्षिण-पश्चिमी दिशा में से होते हुए मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 में जाते है। उक्त रास्ता करीब पिछले 40-50 वर्षो से चला आ रहा है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 27 को जोतने, फसल काटने व अन्य कृषि कार्य करने के लिए चक 13 ओ के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 21 के दक्षिण-पश्चिमी कोने से पश्चिम से पूर्व मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1 में आने के लिए 2 बिस्वा रास्ता मंजूर करवाना चाहता है। प्रार्थीगण की भूमि को इस रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं लगता है। अप्रार्थीगण ने जबरदस्ती दीवार निकाल कर रास्ता बंद कर दिया है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को भारी मानसिक परेशानी का सामना करना पडता है। प्रार्थीगण उक्त रास्ता की भूमि के बदले में चिपती भूमि व डी.एल.सी रेट देने को तैयार है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पेश कर निवेदन है कि चक 13 ओ के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 21 में दक्षिणी पश्चिमी कोने में दक्षिण से पूर्व की दिशा में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए ... किया ... अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री युधिष्ठर सिंह सैनी उपस्थित आए। अप्रार्थी ... 1 ता 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। सामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया जो बाद सुनवाई खारिज किया गया। प्रार्थी जगतार सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी की ओर से अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई खारिज फरमाया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा अपने पत्रांक 663 दिनांक 28.09.2021 के साथ मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक श्रीकरणपुर, मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हलका द्वारा चक 13 ओ के मुरब्बा नम्बर 26 व 18 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से

Signature Not Verified
Digitally signed by Subha
Chandra
Date: 2023.09.06 12:48:
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

पूछताछ कर, यह पाया गया कि मौके पर मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 में गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत है। जो मौका पर चालू है। मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 21 में दीवार बनी हुई है। गुरविन्द्र सिंह दीवार हटवाकर रास्ता चाहते है। जिससे वे अपने खेत में जा सके।

हस्तगत प्रकरण में गुरविन्द्र सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह, दलजीत सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह, अश्विनी कुमार पुत्र हरिनारायण, विजय कुमार पुत्र कौर चन्द व द्वारिका देवी पत्नी हरिनारायण, रूपल अग्रवाल पुत्री हरिनारायण मुखत्यारेआम मनोहरलाल पुत्र नारायण दास, बलराज सिंह पुत्र अवतार सिंह, देवेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह ने न्यायालय में उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा में वर्णित किया कि चक 13 ओ की चार साला जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 196/143 में मुरब्बा नम्बर 21 में पश्चिम-दक्षिण कोने पर 2 बिस्वा भूमि जो बतौर रास्ता के लिए मिकरान गुरविन्द्र सिंह, दलजीत सिंह पिसरान जोगेन्द्र सिंह को अपनी भूमि में जाने के लिए दी है। देवेन्द्र सिंह, बलराज सिंह पिसरान अवतार सिंह के द्वारा मिकरान गुरविन्द्र सिंह, दलजीत सिंह पिसरान जोगेन्द्र सिंह से 490000/- रुपए नगद प्राप्त किए गए। चक 13 ओ के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 21 में पश्चिम दिशा में 2 बिस्वा रास्ता व किला नम्बर 21, 22, 23, 24 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा दक्षिण दिशा में रास्ता मिकरान अश्विनी कुमार, विजय कुमार, द्वारिका देवी, रूपल अग्रवाल के द्वारा मिकरान देवेन्द्र सिंह, बलराज सिंह पिसरान अवतार सिंह को दिया गया है। उक्त रास्ता को मौका पर चालू किया गया है तथा उक्त रास्ता को सरकारी करवाया जावेगा। उक्त राजीनामा से हम सभी सहमत हैं। किसी को कोई एतराज नहीं है। राजीनामा पक्षकारान को पढकर सुनाया गया। दोनो पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। दोनो पक्षों की पहचान उनके अधिवक्तागण के द्वारा की गई। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा व दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि पक्षकारान के द्वारा चक 13 ओ के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 21 के दक्षिण-पश्चिम कोने में 2 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 21 में पश्चिमी दिशा में 2 बिस्वा, किला नम्बर 21, 22, 23, 24 प्रत्येक की दक्षिण दिशा में 2-2 बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। हस्तगत प्रकरण में चक 13 ओ के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 21 में दक्षिणी पश्चिमी कोने में दक्षिण से पूर्व की दिशा में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा है। परन्तु राजीनामा में इसके अलावा मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 21 में पश्चिमी दिशा में 2 बिस्वा, किला नम्बर 21, 22, 23, 24 प्रत्येक की दक्षिण दिशा में 2-2 बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किए जाने बाबत अर्ज किया है। हस्तगत प्रकरण में चक 13 ओ के मुरब्बा नम्बर 21 के काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 21 में पश्चिमी दिशा में 2 बिस्वा, किला नम्बर 21, 22, 23, 24 प्रत्येक की दक्षिण दिशा में 2-2 बिस्वा भूमि गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के लिए अलग से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251ए के तहत वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। अतः दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किए जाने योग्य है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अ[illegible] धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, पक्षकारान के सम्मुख प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 13 ओ, पटवार हल्का 10ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 21 के दक्षिण-पश्चिम कोने में 2 बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। राजीनामा मुताबिक इस रास्ता की भूमि के बदले अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के द्वारा राशि प्राप्त कर ली है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:48:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

गुरविन्द्र सिंह आदि बनाम अवतार सिंह आदि
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए आरटीए,
प्रकरण संख्या 07/2018

पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत आदेश जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 16.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:48:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष नं0:– 01501226005 ईमेल– sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– रीडर/2023/440 दिनांक :– **16.08.2023**

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः– प्रकरण संख्या 07/2018 अनवान गुरविन्द्र सिंह आदि बनाम अवतार सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 16.08.2023 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2023 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955, पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 13 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 21 के दक्षिण–पश्चिम कोने में 2 बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। राजीनामा मुताबिक इस रास्ता की भूमि के बदले अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के द्वारा राशि प्राप्त कर ली है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:48:21 IST
Reason: SelfAttested